न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।
उपस्थितः–रणधीर सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा।
सत्र परीक्षणीय वाद संख्या–16/2015
(CNR–UPSK010004412015)

उ० प्र० राज्य ....**अभियोजक**

बनाम

1. राजू वर्मा पुत्र घिस्सू वर्मा, निवासी ग्राम–वाहिलपार, थाना कोतवाली खलीलाबाद, संत कबीर नगर।
2. मनोज कुमार वर्मा (मृतक), कार्यवाही उपशमित (दिनांकित 12.09.2018),
3. राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा (पत्रावली पृथक दिनांकित 01.07.2022)

..................**अभियुक्तगण**

मु० अ० संख्या–758/2014,
धारा– 323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506
एवं 304 सपठित 34 भा०दं०सं०
थाना–खलीलाबाद, जनपद– सन्त कबीर नगर।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर द्वारा अभियुक्तगण राजू वर्मा, मनोज कुमार वर्मा व राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा के विरूद्ध मु०अ०सं०–758/2014, धारा–323, 325, 504, 506 व 304 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र विचारण हेतु दाखिल किया गया।

2. दौरान विचारण दिनांक 12.09.2018 को अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा की मृत्यु आख्या के आधार पर अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है एवं दौरान विचारण अभियुक्त राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा के फरार होने के फलस्वरूप मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जरिए आदेश दिनांकित 01.07.2022 उसकी पत्रावली पृथक की गयी है। फलतः प्रस्तुत प्रकरण में एक मात्र अभियुक्त राजू वर्मा पुत्र घिस्सू वर्मा का ही विचारण शेष है।

अभियोजन कथानक–

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि–

वादी मुकदमा आनन्द राय ने थाने पर दिनांक 23.03.2014 को इस आशय कि जुबानी सूचना दी कि अभियुक्तगण से मेरा लेन देन का मामला है। मैंने अपना सोना मांगा तो गाली गुप्ता देने लगे तथा मना करने पर लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। मेरे हल्ला गोहार पर मेरे परिवार के लोग बचाने आये तो उन्हें भी मारने लगे। मार पीट में, मुझे व पिता जी को चोटें आयी है। मेरे हल्ला गोहार पर तमाम लोग आकर बीच बचाव किये तब मेरी जान बची। जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

4. उक्त जुबानी सूचना के आधार पर एन सी आर संख्या–93/2014, धारा–323, 504, 506 भा०दं०वि० में दर्ज किया गया।

5. वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 03.04.2014 को प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष को इस आशय का दिया कि मेरे गांव के निवासी गुड्डू वर्मा, सोने के जेवरात का व्यवसाय करते थे। मेरी मां जुगावती राय ने तीन तोला सोना पुराना लेकर नया जेवरात बनाकर देने का कहे थे, परन्तु दिये नहीं। हम लोग बराबर सोने के जेवरात की मांग करते रहे। दिनांक 23.03.2014 को दोपहर 12 बजे की घटना है। मेरे मकान के बगल में स्थित अपनी जमीन पर गुड्डू वर्मा उनकी पत्नी चांदनी , भाई मनोज वर्मा, राजू वर्मा, साकेत वर्मा आये, यह देखकर मेरे पिता परमहंस राय अपने जेवरात की मांग किये कि गुड्डू वर्मा ने कहा साले मादरचोद जेवरात नहीं देगें जो करना हो कर लो, हम लोग तैयार होकर आये हैं। मैंने प्रतिरोध किया कि उक्त लोग मुझे व मेरे पिता को पकड़ कर जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडा, सरिया व कुल्हाड़ी से मारने लगे। वहां मौजूद त्रियुगी राय, राम लखन व राम बदल ने ललकारा कि जान से मार डालो, साले को देख लेगें। मुल्जिमान कुल्हाड़ी व लोहे की राड से मेरे पिता परमहंस राय व मेरे सिर पर प्राण घातक हमला किया। मेरे पिता चोट खाकर मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े। मेरी मां जुगावती देवी बचाने आयी उनको भी मुल्जिमान मारे पीटे। मुल्जिमानों के इस कृत्य को तमाम लोगों ने देखा। मुल्जिमान मेरे पिता को मरा समझकर मां–बहन की गाली व धमकी देते हुए कहे कि साले कोई कार्यवाही करोगें तो जान से मार देगें और मौके से चले गये। प्रार्थी अपने माता पिता को लेकर स्थानीय थाने पर आया। पुलिस ने एन सी आर रिपोर्ट दर्ज किया तथा चोटहिल का डाक्टरी मुआयना पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल खलीलाबाद में कराया। मेरे पिता को डाक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कालेज तथा वहां से लखनऊ मेडिकल कालेज को रेफर कर दिया। चोट के कारण मेरे पिता की मृत्यु गोरखपुर प्राइवेट अस्पताल में हो गयी। मुझे व मेरी मां को भी प्राण घातक चोटें आयी है।

6. इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर एन सी आर को मुकदमा अपराध संख्या–758/2014 के रूप में तरमीम हुआ। साथ ही धारा–304 भारतीय दंड संहिता व मजरूब आनन्द की चोटों के आधार पर धारा–308 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी। बाद विवेचना धारा–308 भारतीय दंड संहिता को विलोपित कर दिया।

7. विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण का बयान लिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण राजू वर्मा, मनोज कुमार वर्मा व राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–323, 325, 504, 506 व 304 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र को विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

8. दिनांक 08.01.2015 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर द्वारा धारा–207 दं०प्र०सं० का अनुपालन करते हुए उन्हें समस्त अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदान की गयी तथा प्रकरण अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

<u>आरोप–</u>

9. सत्र न्यायालय ने विचारण के प्रारम्भ में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का सारांश प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि अभियोजन किन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करता है। तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश, जनपद

न्यायालय संत कबीर नगर द्वारा दिनांक–10.03.2015 को अभियुक्तगण राज वर्मा, मनोज कुमार वर्मा व राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 एवं 304 सपठित 34 भा०दं०सं० विरचित करके सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

<u>मौखिक साक्ष्य–</u>

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

1. पी०डब्लू०–01 आनन्द राय (वादी मुकदमा), मृतक का पुत्र, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/चुटैल,
2. पी०डब्लू०–02 जुगावती (मृतक की पत्नी), प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/चुटैल,
3. पी०डब्लू०–03 डॉ अरविन्द कुमार उपाध्याय (चिकित्सक), पोस्टमार्टम मृतक,
4. पी०डब्लू०–04 शक्ति श्रीवास्तव, पंचायतनामा के साक्षी,
5. पी०डब्लू०–05 जोगिन्दर राय, स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,
6. पी०डब्लू०–06 सेवानिवृत्त निरीक्षक उमाशंकर तिवारी (विवेचक),
7. पी०डब्लू०–07 डॉ राम प्रवेश, चिकित्सक चुटैल, चिकित्सीय परीक्षण,
8. पी०डब्लू०–08 सेवानिवृत्त निरीक्षक राजेन्द्र राय(विवेचक),
9. पी०डब्लू०–09 सेवानिवृत्त डॉक्टर मोहीबुल्लाह, चिकित्सक रेडियोलाजिस्ट, चुटैल दुर्गावती का एक्सरे।

<u>अभियोजन पक्ष द्वारा साबित प्रपत्र–</u>

11. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्रों को साबित किया गया है–

1. लिखित तहरीर को प्रदर्श क–1,
2. मृतक परमहंस राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2,
3. पंचायतनामा प्रदर्श क–3,
4. आरोप पत्र प्रदर्श क–4,
5. परमहंस की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क 05,
6. आनन्द राय की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क–6,
7. जुगावती देवी की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क 07,
8. घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क 08,
9. एन०सी०आर० प्रदर्श क 09,
10. तहरीर तरमीमी नकल रपट प्रदर्श क 10,
11. एक्स–रे रिपोर्ट दुर्गावती का प्रदर्श क 11 ।

अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं०–

12. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त सुधाकर साहनी का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 28.03.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक व साक्षीगण के कथनों को गलत बताया है। विवेचक द्वारा गलत प्रपत्र तैयार किया गया है और गलत विवेचना किया जाना बताया है। मेरे विरूद्ध मुकदमा दुश्मना के कारण चला। इस घटना के पहले वादी ने गुड्डू की पत्नी चांदनी को दिनांक 20.03.2024 को मारा पीटा था जिसका मुकदमा विचाराधीन है और मैं निर्दोष हूं तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है। परन्तु सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन के तर्क–

13. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क दिया गया कि गुड्डू वर्मा, सोने के जेवरात का व्यवसाय करते थे। वादी मुकदमा की मां जुगावती राय ने 03 तोला सोना पुराना लेकर नया जेवरात बनाकर देने के लिए कहे थे, परन्तु दिये नहीं। वे लोग बराबर सोने के जेवरात की मांग करते रहे। दिनांक 23.03.2014 को दोपहर 12 बजे की घटना है। उसके मकान के बगल में स्थित अपनी जमीन पर गुड्डू वर्मा उनकी पत्नी चांदनी, भाई मनोज वर्मा, राजू वर्मा एवं साकेत वर्मा आये, यह देखकर उसके पिता परमहंस राय अपने जेवरात की मांग किये कि गुड्डू वर्मा ने कहा साले मादर चोद जेवरात नहीं देंगे। उक्त लोग उसे व उसके पिता को पकड़ कर जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडा, सरिया व कुल्हाड़ी से मारने लगे। वादी मुकदमा की मां बीच बचाव करने आयी तो उसे भी मारा पीटा और जाते समय जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाबत थाने पर जुबानी सूचना दिया था जो एन सी आर 88/2014 के रूप में दर्ज हुआ। अभियुक्तगण के मारने से आयी चोटों के कारण वादी मुकदमा के पिता की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी और एन सी आर संख्या–88/2014 को मुकदमा अपराध संख्या–758/2014 के रूप में तरमीम करते हुए धारा–304 भारतीय दंड संहिता व चुटहिल आनन्द राय की इंजरी रिपोर्ट के आधार पर धारा–308 की बढ़ोत्तरी की गयी। पी डब्लू 01 व पी डब्लू 02 चुटहिल साक्षीगण है और इनके बयान से यह साबित है कि मृतक व चुटहिलगण को जो चोटें आयी है वह अभियुक्तगण के मारने से आयी है। अभियुक्त राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा उक्त मामले में अभियुक्त है और वह फरार चल रहा है और उसके विरुद्ध धारा–299 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में उसकी पत्रावली चल रही है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे साबित है। अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत धारा–323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 एवं 304 सपठित 34 भा०दं०सं० का अपराध कारित किया गया है, जिसे अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया गया है। अतः अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के बचाव में तर्क–

14. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि चांदनी ने थाने पर दिनांक 23.03.2014 को जुबानी सूचना दी कि मेरे पति सोने व चांदी का काम करते है। खाता नंबर दो से लेन देन का विवाद था इसी बात को लेकर आनन्द राय व परमहंस राय मेरे दरवाजे पर आकर गाली गुप्ता देने लगे, मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडा मुक्का घुसा से मारने लगे। मेरे हल्ला गुहार पर तमाम लोग आकर बीच–बचाव

किये तथा घटना को देखे। वादी मुकदमा उसी से बचने के लिए दिनांक 23.03.2014 को जुबानी एन०सी०आर० संख्या–93/2014 दर्ज कराया है और वादी मुकदमा आनन्द राय द्वारा ही तहरीर दिनांक 03.04.2014 को दी गयी जो बाद में तरमीम होकर मुकदमा अपराध संख्या–758/2014 के रूप में दर्ज हुई है। इस प्रकार जो एन०सी०आर० दिनांक 23.03.2014 को दर्ज करायी गयी है वह घटना दिनांक 20.03.2014 की है। दिनांक 23.03.2014 को कोई घटना ही घटी नहीं हुई है। मृतक को जो प्राण घातक चोटें आना कही गयी है जिसके आधार पर जिला अस्पताल संत कबीर नगर से रिफर किया जाना बताया गया है उसका कोई रेफरल स्लीप पत्रावली में नहीं लगी है। अगर उक्त चोटें प्राण घातक थी तो मृतक मोटर साइकिल से कैसे थाने पर गया। अगर उक्त चोटें प्राण घातक थी तो एन सी आर दर्ज नहीं होता और वादी को तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराना था। उक्त घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। मृतक का जो चिकित्सक साक्षी लखनऊ व गोरखपुर के इलाज किये थे उनको परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे मृत्यु का कारण पता चल सकता था। पत्रावली में संलग्न इंजरी रिपोर्ट परमहंस राय, कागज संख्या–4क/5 के रूप में दाखिल किया गया है जिसमें मृतक को सभी चोटें साधारण प्रकृति की आना बताया गया है। नक्शानजरी प्रदर्श क 08 में घटनास्थल वादी का मकान नहीं बनाया गया है बल्कि वादी मुकदमा ने घटना को अपने मकान पर होना बताया है। एन सी आर संख्या–88/2014 क्रास केस नहीं है, बल्कि वादी पक्ष ने मारा तथा सोना नहीं दिया तथा साक्षीगण के कथनों में समय को लेकर विरोधाभास है। उक्त घटना में राजू वर्मा की कोई भूमिका नहीं है। मृतक को गोरखपुर व लखनऊ मेडिकल कालेज में दिखाने की बात कही गयी है परन्तु अचानक प्राइवेट अस्पताल रचित में मृतक को दिनांक 26.03.2014 को भर्ती कराया गया और दिनांक 31.03.2014 को उसकी मृत्यु हो गयी है अचानक इतनी चोटें कैसे मृतक को आ गयी, बल्कि पहले चिकित्सीय आख्या में मृतक की चोटें सभी साधारण प्रकृति की थी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4क/13 साबित नहीं कराया गया है। साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने की याचना की गयी है।

15. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक विचार किया।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर जो आरोप लगाया गया है उसके समर्थन में जो मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर इस बात पर विचार किया जाना है कि क्या वास्तव में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा एवं उसके माता–पिता को गाली–गुप्ता देकर लाठी–डण्डा, सरिया व कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित कर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे परमहंस राज की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी ?

<u>साक्ष्य का विश्लेषण एवं मूल्यांकन</u>–

17. पी०डब्लू०–01 आनन्द राय (वादी मुकदमा) मृतक का पुत्र, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/चुटैल ने कथन किया है कि मैं गुड्डू वर्मा को जानता हूं। गुड्डू वर्मा जेवरात बनाने का

काम करते है। मेरी मां जुगावती राय से तीन तोला सोना पुराना लेकर नया जेवर बनाने के लिए लिये थे, परन्तु दिये नहीं हम लोग बराबर सोने की जेवरात की मांग गुड्डू वर्मा से करते थे। घटना दिनांक 23.03.2014 को बारह बजे की है। मेरे मकान के बगल में स्थित अपनी जमीन पर गुड्डू वर्मा उनकी पत्नी चांदनी, भाई मनोज वर्मा, राजू वर्मा व साकेत वर्मा आये यह देखकर मेरे पिता परमहंस राय अपने जेवरात की मांग किये कि गुड्डू वर्मा ने कहां साले मादर चोद जेवरात नहीं देगें जो कहना हो कर लो, हम लोग तैयार होकर आये है। मैंने प्रतिरोध किया कि उपरोक्त लोग मुझे व मेरे पिता को पकड़ कर जान से मारने की नियत से लाठी, डंडा, सरिया व कुल्हाड़ी से मारने लगे वहां मौजूद त्रियुगी राय व राम बदल ने ललकार कि जान से मार डालो साले को देख लेगें। मुल्जिमान कुल्हाड़ी व लोहे की राड से मेरे पिता व परमहंस राय को तथा मुझे सिर पर प्राण घातक चोटें पहुंचायी। मेरे पिता चोट खाकर मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े। मेरी मां जुगावती देवी बचाने आयी तो उपरोक्त लोगों ने उन्हें भी मारे पीटे जिससे वह भी घायल हो गयी। हम लोगों के शोर पर गांव के तमाम लोग आ गये जिन्होंने घटना को देखा तथा बीच–बचाव किया, तब उपरोक्त अभियुक्तगण मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली तथा जानमाल की धमकी देते हुए चले गये। मैं अपने माता–पिता को लेकर थाना खलीलाबाद पर आये। पुलिस ने एन सी आर लिखा उसमें अभियुक्तगण त्रियुगीराय तथा राम बदल का नाम नहीं लिखा। पुलिस हम लोगों का दवा इलाज सरकारी अस्पताल खलीलाबाद में कराया। मेरे पिता को डाक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कालेज रिफर कर दिया और गोरखपुर मेडिकल कालेज से लखनऊ मेडिकल कालेज रिफर कर दिये, ठीक न होने पर मैं अपने पिता का गोरखपुर में रचित अस्पताल में दवा इलाज कराने लगा। दिनांक 31.03.2014 को मेरे पिता की मृत्यु हो गयी। उसी दिन मेरे पिता जी का पोस्टमार्टम हुआ। घटना के बारे में मैंने प्रार्थना पत्र टाइप करवाकर दिनांक 03.04.2014 को थाना खलीलाबाद में दिया था जो पत्रावली में शामिल है, को साक्षी ने प्रदर्श क 01 के रूप में साबित किया है। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि घटना के पहले से गुड्डू वर्मा से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस घटना के दस दिन पहले हमसे व गुड्डू वर्मा से कहा–सुनी हुई थी। मुल्जिमान से कोई जगह जमीन का झगड़ा नहीं था, केवल सोना का झगड़ा था। मेरी माता ने 05–06 वर्ष पहले गुड्डू वर्मा को सोना दिया था। यह सोना किस समय किसके सामने दिया था यह बात वह नहीं बता सकता। उसकी मां ही बता सकती है। उसके मकान के पूरब विवाद हुआ था। विवाद के समय गांव का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। घटना के समय कोई नहीं आया बाद में लोग आये। इस विवाद के बाद हम लोग थाने गये एन०सी०आर० दर्ज हुआ फिर अस्पताल गये। हम लोग मौके से मोटर साइकिल द्वारा कोतवाली गये थे। मेरे साथ जितेन्द्र व सौरभ भी गये थे और मेरे घर के मैं व मेरी माता व पिता थाने पर गये थे। मुझे गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा, राजू वर्मा व मनोज ने मारा था। ये लोग लाठी–डण्डा व सरिया लिए थे। यही लोग पिता जी एवं माता को भी मारे थे। मौके पर हम लोग बेहोश हो गये थे तथा चोटों से काफी खून भी गिरा तथा हम लोगों का कपड़ा भी भीग गया था। अस्पताल 04–05 बजे शाम को पहुंच गये थे। पिता जी को भर्ती किया था। मुझे व मेरी माता जी को भर्ती नहीं किया था। पिता जी खलीलाबाद अस्पताल में 02–03 घण्टा भर्ती थे, उसके बाद पिता जी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया था। मेडिकल कॉलेज एक दिन भर्ती थे। फिर वहां से लखनऊ के लिए रिफर कर

दिये थे। लखनऊ में पिता जी का इलाज 02–03 दिन हुआ था। मैं पिता जी को लेकर लखनऊ से गोरखपुर प्राइवेट अस्पताल रचित में भर्ती कराया था। मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पिता जी का एक्स–रे हुआ था, जो मस्तिष्क का एक्सरे/सिटी स्कैन हुआ था। प्राइवेट अस्पताल रचित में 08–09 दिन दवा कराया उसके बाद मेरे पिता परमहंस राय की मृत्यु हो गयी। पंचायतनामा के समय दरोगा को मैंने बताया था कि किसने माार कैसे मरा था। अगर दरोगा जी ने किसी का नाम व असलहा के बारे में क्यों नहीं लिखा है, मैं नहीं बता सकता। मैने पिता के मरने के बाद कोई टाइपशुदा दरखास्त थाने पर नहीं दिया था। मेरे पिता जी को तीन कुल्हाड़ी मारे थे। धार वाले हिस्से से मारा था या कैसे मारा था मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं बेहोश था।

18. पी०डब्लू0–02 जुगावती, (मृतक की पत्नी), प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/चुटैल ने कथन किया है कि गुड्डू वर्मा मेरे गांव के ही रहने वाले है। यह सोने चांदी के जेवरात बनाने का कार्य करते है। उनको मैं घटना के कुछ वर्ष पहले तीन तोला पुराना सोना, नया जेवरात बनाने के लिए दिया था। लेकिन गुड्डू वर्मा मुझे जेवरात बनाकर नहीं दिये थे। मेरा लड़का आनन्द राय व मेरे पति बराबर गुड्डू वर्मा से जेवरात मांगते रहे। दिनांक 23.03.2014 को समय दोपहर बारह बजे की घटना है। गुड्डू वर्मा, भाई मनोज, साकेत, राजू व चांदनी देवी मेरे घर के पास ही अपनी जमीन में नींव खोद रहे थे, समय करीब बारह बजे दिन में जब मेरे पति ने अपना जेवरात मांगा तो इस पर नाराज होकर उपरोक्त मुल्जिमान मेरे पति को मां–बहन की गाली देने लगे और साले मादर चोद की गाली देने लगे और कहा कि जेवरात नहीं देगे जो करना है कर लो। जब मेरे लड़के आनन्द राय ने गाली देने से मना किया तो उक्त मुल्जिमान मेरे पति परमहंस राय व आनन्द राय को पकड़ कर जान से मारने की नीयत से लाठी डंडा कुल्हाड़ी व सरिया से मारने लगे वहां पर मौजूद त्रियुगी व रामबदन ने कहा कि जान से मार डालो, सालों को देखा जाएगा। मेरे लड़के व पति के सिर पर मुल्जिमान द्वारा कुल्हाड़ी व सरिया से मारने पर प्राण घातक चोटें आयी। मैं घटना देखकर बचाव करने पहुंची तो मुल्जिमान मुझे भी मारे पीटे जिससे दांयी कलाई में फ्रैक्चर आ गया। मेरा लड़का आनन्द राय मुझे तथा मेरे पति को लेकर कोतवाली खलीलाबाद गया। पुलिस ने मामले को जुबानी सूचना एन सी आर दर्ज किया। मेरे लड़के द्वारा दिये गये तहरीर पर मुकदमा नहीं पंजीकृत किया। पुलिस ने हम लोगों का डाक्टरी मुआयना कराया था। डाक्टर ने मेरे पति की गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कालेज रिफर कर दिया और वहां पर सुधार न होने पर मेडिकल कालेज लखनऊ ले गये। वहां भी सुधार न होने पर प्राइवेट अस्पताल रचित गोरखपुर लाकर भर्ती कराया गया जहां ईलाज के दौरान दिनांक 31.03.2014 को मेरे पति की मृत्यु हो गयी। मेरा एक्स रे जिला अस्पताल बस्ती में हुआ था जिसमें मेरी दाहिने कलाई में फ्रैक्चर हुआ था। घटना के समय गांव के कई लोग मौजूद थे। मौके पर त्रियुगी व रामबदल भी थे। जिन्होंने अभियुक्तगण को मारने के लिए ललकारा था। घटना की लिखित देने के बाद पुलिस ने धारा–304 व 308 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोत्तरी कर रिपोर्ट दर्ज किया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिये थे।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि घटना के पहले गुड्डू वर्मा की पत्नी चांदनी से जेवरात के लेन–देन के संबंध में झगड़ा हुआ था। इस घटना के दो तीन दिन पहले झगड़ा हुआ था। घटना के दस वर्ष पूर्व मैंने गुड्डू वर्मा को सोना दिया था जेवरात बनाने के लिए। मैंने गुड्डू वर्मा के विरुद्ध जेवरात बनाने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र थाने

पर नहीं दिया था। मेरे पैरे व हाथ में चोट लगी थी। सिर में चोट नहीं थी। आनन्द राय का सिर फट गया था। हाथ में भी चोट आयी थी। घटना के समय शर्ट भीग गया था। मैं व मेरा लड़का बेहोश हो गये थे। घटना होने के बाद मैं, मेरा लड़का व पति थाने पर मोटर साइकिल से गये थे। थाने पर आधा घण्टा रुके थे उसके बाद गोरखपुर गये थे। डॉक्टरी मुआयना गोरखपुर हुआ था। गोरखपुर से उसी दिन लखनऊ रेफर कर दिया था। लखनऊ से तीन–चार दिन बाद गोरखपुर आ गये। गोरखपुर में रितिका अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। मेरे पति को गड्डू, साकेत, गुड्डू की पत्नी ने मारा था। किस हथियार से मारा था याद नहीं है। मेरे सोने के बारे में कोतवाली में पंचायत हुई थी।

19. **पी०डब्लू०–03 डॉक्टर अरविन्द कुमार उपाध्याय (चिकित्सक), पोस्टमार्टम मृतक** ने कथन किया है कि दिनांक 01.04.2014 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैम्पियरगंज, जिला गोरखपुर में बतौर चिकित्साधिकारी तैनात था। उसी दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम करने हेतु बी आर डी मेडिकल कालेज गोरखपुर में लगायी गयी थी। उसी दिन मृतक परमहंस राय का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया था। उसके शरीर पर कनट्यूजड स्वेलिंग 08.00X06.00 CM, सिर के दाहिने तरफ फ्रन्टो पैराइटल भाग पर उपस्थित था। चमड़े को काटने पर उसके नीचे खून का थक्का मौजूद था। सिर की हड्डी को खोलने पर उसके नीचे ब्रेन मेम्ब्रेन और ब्रेन मैटर में खून का थक्का मौजूद था। मृत्यु का संभावित समय लगभग एक दिन था। मृत्यु का संभावित कारण मृत्युपूर्व आयी चोटों के कारण कोमा में जाने की वजह से हुआ था। चोट को देखने से लग रहा था कि चोटें किसी कठोर वस्तु से मारने से आयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को **प्रदर्श क 02** के रूप में साबित किया है।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि मृतक के सिर के दाहिने व बांये तरफ Contused Swelling था। मृत्यु का संभावित समय एक दिन के अन्दर का था। अगर व्यक्ति दौड़ रहा हो तो गिरने से व्यक्ति के एक ही तरफ चोट आयेगी, इस तरह की चोट नहीं आयेगी। सिर की हड्डी खोलने पर खून का थक्का मिला था। अगर कोई व्यक्ति दीवाल या पेड़ से टकराता है तो सिर पर चोट आ सकती है लेकिन उक्त तरह की चोट नहीं आ सकती है। यह चोट मृत्यु पूर्व कितने समय पहले की थी यह मैं नहीं बता सकता।

20. **पी०डब्लू04 शक्ति श्रीवास्तव** (पंचायतनामा के साक्षी) ने कथन किया है कि दिनांक 31.03.2024 को परमहंस राय के शव का रचित अस्पताल गोरखपुर में पंचायतनामा हुआ था। पंचायतनामा मैं भी पंच नियुक्त हुआ था तथा पंचायतनामा पढ़कर अपना हस्ताक्षर बनाया था। मृतक परमहंस के शरीर पर चोट का निशान था और पट्टी बधी थी। पंचायतनामा शामिल पत्रावली है। पंचायतनामा को साक्षी ने **प्रदर्श क 03** के रूप में साबित किया है।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि पंचायतनामा के समय मुझे आनन्द राय ने रचित हॉस्पिटल में बुलाया था। दरोगा जी ने पोस्टमार्टम में समय पोस्टमार्टम फार्म जो भरा हुआ था उस पर हस्ताक्षर बनवाया था।

21. **पी०डब्लू 05 जोगिन्दर राय** (स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) ने कथन किया है कि मेरी मोहनपार चौराहे पर जनरल स्टोर की दुकान थी जहां मैं प्रतिदिन सुबह चला जाता था। दोपरह को मेरा लड़का दुकान पर आता था तो मैं घर खाना खाने व आराम करने चला जाता था। दिनांक 23.03.2014 को मैं अपने घर दोपहर को आकर खाना खाकर

आराम कर रहा था कि करीब समय 12 से 01 बजे के करीब शोर गोहार वाली जगह पर गया तो देखा कि मेरे गांव के गुड्डू उर्फ राजेश, मनोज व राजू द्वारा परमहंस राय और आनन्द राय व उनकी माता जुगरावती देवी पर ईट पत्थर चला रहे थे, लाठी डंडा से मारे पीटे और गाली गुप्ता दे रहे थे। मौके पर और गांव के लोग आ गये थे परमहंस राय व आनन्द राय को चोट लग गयी थी। गांव वालों ने लाद–फांद कर उन्हें अस्पताल ले गये। बाद में परमहंस राय की मृत्यु हो गयी। पुलिस गांव में आयी थी और पूछताछ की थी।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि घटना के समय मैं अपनी दुकान पर था। घटनास्थल से मेरी दुकान की दूरी 01 किलो मीटर के लगभग होगी। मैंने इन लोगों को ईंट–पत्थर चलाते नहीं देखा था। आनन्द राय व दुर्गावती उर्फ जुगावती को चोट कैसे लगी मैं नहीं बता सकता।

22. **पी०डब्लू 06 रिटायर्ड निरीक्षक उमाशंकर तिवारी** (विवेचक)ने कथन किया है कि मुकदमा अपराध संख्या–758/2014 की विवेचना पूर्व विवेचक द्वारा मुझे प्राप्त हुई। साक्षीगण का बयान लिया। अभियुक्तगण गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश, राजू वर्मा व मनोज कुमार वर्मा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र को न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप पत्र को साक्षी ने **प्रदर्श क 04** के रूप में साबित किया है।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि पूर्व विवेचक के बयान के आधार पर मैंने बयान नहीं लिखा था। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा नहीं किया गया था, न ही मेरे द्वारा कोई नक्शा नजरी बनाया गया था। मैं घटनास्थल पर गया था तथा वादी से मेरी मुलाकात हुई थी।

23. **पी०डब्लू 07 डाक्टर राम प्रवेश** (चिकित्सक चुटैल/चिकित्सीय परीक्षण) ने कथन किया है कि दिनांक 23.03.2014 को मेरी ड्यूटी जिला चिकित्सालय संत कबीर नगर के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में लगी थी। उसी दिन चोटहिल **परमहंस राय** का चिकित्सीय परीक्षण किया था उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी–

1. फटा हुआ घाव 4X5 CM तक गहरा जो सिर के दाहिने तरफ दाहिने आईब्रो से 8.5 सेमी ऊपर थी घाव पर खून का थक्का जमा था।
2. 3X.05 CM गहरा सिर के बांये तरफ कटे का निशान जो कि 7.5 CM दाहिने भौह से ऊपर था। घाव पर खून का थक्का जमा था।
3. उपरोक्त दोनों घाव के बीच में 2X.05 CM का खरोच था।
4. दाहिनी आंख के चारों तरफ 5X3 CM का सूजन था जो कि लाल रंग का था,
5. नाक से खून निकल रहा था और खून का थक्का जमा था,
6. पेट के बांये तरफ 2X.02 CM का खरोच था जो कि कमर से 7 सेमी ऊपर था, लाल स्कैब मौजूद था।

सभी चोटें कठोर वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। कठोर वस्तु में लाठी, डंडा व सरिया से आना प्रतीत हो रही थी। चोटहिल परमहंस की चिकित्सीय परीक्षण आख्या को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए **प्रदर्श क 05** के रूप में साबित किया है।

उसी दिन चोटहिल **आनन्द राय** की चोटों का परीक्षण किया था जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी–

1. सिर के दाहिने तरफ 5X.05X तक गहरा जो कि दाहिने कान से 1 सेमी ऊपर

था, घाव पर खून का थक्का जमा था।

2. 6X1 सेमी तक गहरा कटा घाव सिर के बांये तरफ था जो कि बांये कान के ऊपरी हिस्से से 11 सेमी ऊपर था। घाव से खून निकल रहा था और थक्का भी जमा था।
3. पीठ के बांये तरफ 16X6 सेमी का कन्ट्यूजन था जो कि स्कैपुला के निचले भाग से 9.5 सेमी नीचे लाल रंग का था।
4. बांये हाथ पर 2.5X.05 सेमी के खरोच का निशान था जो कि बांयी कलाई से 4.5 सेमी नीचे था और लाल स्कैप मौजूद था।
5. दाहिने अंगूठे पर 1.5X.05 सेमी का खरोच के साथ सूजन था जो कि दाहिने कलाई से 3 सेमी नीचे लाल रंग का था।

   दाहिने हाथ पर दर्द की शिकायत बता रहा था।

सभी चोट कठोर वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। कठोर वस्तु में लाठी, डंडा व सरिया से आना प्रतीत हो रही थी। चोटहिल आनन्द राय के चोटों का चिकित्सीय परीक्षण आख्या अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साक्षी ने **प्रदर्श क 06** के रूप में साबित किया है।

उसी दिन चोटहिल **दुर्गावती देवी** की चोटों का परीक्षण किया था। उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी–

1. दाहिने कलाई पर 0.5X.05X.02 सेमी का कटा घाव था जिससे खून निकल रहा था,
2. 2X1.5 सेमी का दर्द सहित सूजन था जिसका एक्स रे के लिए सलाह दिया गया,
3. बांये जांघ पर दर्द बताया गया, लेकिन कोई घाव का निशान नहीं था,

घाव नंबर–02 को छोड़ कर सभी चोटें साधारण थी। चोटहिल दुर्गावती की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को साक्षी ने **प्रदर्श क 07** के रूप में साबित किया है।

उपरोक्त समस्त चोटहिलों को आयी सभी चोटें ताजी थी।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि परमहंस राय की चोट नम्बर 01 गिरने से भी आ सकती है और घाव पर खून का थक्का भी जम सकता है। चोट नम्बर दो भी किसी कठोर वस्तु पर गिरने से आ सकती है। चोट नम्बर पांच जो नाक से खून निकल रहा था वह किसी कठोर चीज पर गिर जाने या टकरा जाने से भी आ सकती है। उपरोक्त सभी चोटे गिरने से भी आ सकती है और कठोर वस्तु से भी चोट लगने से भी आ सकती है। चुटहिल आनन्द राय व दुर्गावती को आयी चोटे बिल्कुल ताजी थी जो करीब 03–04 घण्टे के अन्दर की रही होंगी। इतने सालों से मैं खलीलाबाद में हूँ तो कुछ लोगों से मेरी जान पहचान है। वादी मुकदमा आनन्द राय को भी मैं जानता पहचानता हूँ।

24. पी०डब्लू 08 रिटायर्ड निरीक्षक राजेन्द्र राय (विवेचक) ने कथन किया है कि वर्ष 2014 में, मैं वरिष्ठ उप निरीक्षक, थाना कोतवाली खलीलाबाद के पद पर तैनात था। मुकदमा अपराध संख्या–758/2014 की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। विवेचना के क्रम में साक्षीगण का बयान लिया, घटनास्थल का निरीक्षण किया। वादी मुकदमा के निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया गया। नक्शा नजरी को साक्षी ने प्रदर्श क 08 के रूप में साबित किया है। इसके बाद विवेचना स्थानान्तरित कर उप निरीक्षक उमाशंकर तिवारी को दे दी गयी। मुकदमा अपराध संख्या–758/2024 कायम होने से पूर्व वादी आनन्द राय के

मौखिक सूचना पर थाना खलीलाबाद में एन०सी०आर० नंबर–93/2014, धारा–323, 504 व 506 भारतीय दंड संहिता किता किया गया था। एन सी आर व तहरीरी तरमीमी को तत्कालीन हेड मोहर्रिर परशुराम सिंह ने किता किया था वह मेरे साथ कार्यरत रहे हैं मैं उनको लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर बनाते हुए देखा है। एन सी आर व तहरीरी तरमीमी पर बने हेड मोहर्रिर परशुराम सिंह के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साक्षी ने द्वितीयक रूप से क्रमशः **प्रदर्श क 09** व **10** के रूप में साबित किया है।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि मौके पर जाकर मैंने घटना स्थल का निरीक्षण किया था तथा वादी मुकदमा के बताने के आधार पर घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया था। डॉक्टर का बयान मेरे बाद के विवेचक द्वारा लिया गया था मेरे द्वारा नहीं लिया गया था।

25. **पी०डब्लू 09 रिटायर्ड डाक्टर मोहीबुल्लाह** (चिकित्सक रेडियोलॉजिस्ट, चुटैल दुर्गावती का X–ray) ने कथन किया है कि दिनांक 25.06.2014 को मैं जिला चिकित्सालय बस्ती में बतौर रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को चोटहिल दुर्गावती का एक्स रे कलाई का किया था। एक्स रे में चौथे मेटाकार्पल का फ्रैक्चर पाया गया था। चोटहिल दुर्गावती देवी के एक्स रे रिपोर्ट को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साक्षी ने एक्स रे रिपोर्ट को **प्रदर्श क 11** के रूप में साबित किया है।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि चुटहिल दुर्गावती के दाहिने हाथ का एक्स–रे हुआ था। एक्स–रे रिपोर्ट मैंने किसी के दबाव में नहीं तैयार किया था। हाथ का मेटाकार्पल फ्रैक्चर था यह चोट गिरने से भी आ सकती है।

26. उपरोक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जहां एक ओर विद्वान जिला साशकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त राजू वर्मा के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 एवं 304 सपठित 34 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित होते हैं। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अभियोजन कथानक तथा साक्ष्य में अनेक विरोधाभास हैं, जिनके कारण अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित नहीं है।

27. उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में साक्ष्य का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि बचाव पक्ष का एक तर्क यह है कि मामले में एन०सी०आर० दिनांक 23.03.2014 की है तथा दिनांक 23.03.2014 को कोई घटना घटित नहीं हुई थी, के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य एन०सी०आर० की छाया प्रति प्रदर्श क 09 के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त अभिलेख में घटना का दिनांक 23.03.2014 व समय 12 बजे दोपहर वर्णित है, जिसमें अभियुक्तगण गुड्डू वर्मा, राजू वर्मा व राकेश वर्मा के द्वारा वादी पक्ष के साथ गाली गलौज करना तथा लाठी–डण्डे से मार पीट करना तथा वादी उसके पिता व मां को चोटे आने का वर्णन है। इन तथ्यों के संबंध में मौखिक साक्ष्य में वादी एवं चुटैल आनन्द राय के द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया गया है कि घटना दिनांक 23.03.2014 को दिन 12 बजे की है। जिसका संपोषण साक्षी पी०डब्लू–02 दुर्गावती, जो स्वयं चुटैल है एवं मृतक की पत्नी है के द्वारा स्वयं अपने कथनों में विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि घटना दिनांक 23.03.2014 दिन 12 बजे की है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत नहीं होता है कि घटना 20.03.2014 को हुई हो

और दिनांक 23.03.2014 को कोई घटना न हुई हो।

28. जहां तक अभियोजन के इस तर्क का संबंध है कि मृतक की जिला अस्पताल संत कबीर नगर से रिफर करने की कोई स्लिप नहीं है। मृतक की चोटे यदि प्राण घातक थी तो वह मोटर साइकिल से थाना कैसे गया तथा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कर एन०सी०आर० दर्ज क्यों हुई, के संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक एवं साक्षीगण के उपरोक्त वर्णित कथनों के अनुसार घटना दिनांक 23.03.2014 के दिन दोपहर 12 बजे की है। मृतक परमहंस राय की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–05 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 23.03.2014 समय 03:50 PM पर जिला चिकित्सालय संत कबीर नगर में किया गया। उसके साथ ही कथित चुटहिल आनन्द राय पी०डब्लू०–01 चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क 06 तथा पी०डब्लू०–02 दुर्गावती चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–07 का भी चिकित्सीय परीक्षण क्रमशः दिनांक 23.03.2014 समय 03:10 PM पर किया गया। इन अभिलेखों को अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–07 डॉक्टर राम प्रवेश द्वारा भी साबित किया गया है। इसके अतिरिक्त मृतक परमहंस राय की पोस्टमार्टम आख्या प्रदर्श क–02 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता कि परमहंस राय की मृत्यु दिनांक 31.03.2014 को रचित हॉस्पिटल में हुई। पोस्टमार्टम आख्या में मृतक के शरीर में कनटयूजड स्वेलिंग 8X6 CM, सिर के दाहिने तरफ फ्रन्टो पैराइटल भाग पर उपस्थित था। चमड़े को काटने पर उसके नीचे खून का थक्का मौजूद था। सिर की हड्डी को खोलने पर उसके नीचे ब्रेन मेम्ब्रेन और ब्रेन मैटर में खून का थक्का मौजूद होना पायी गयी तथा मृत्यु का कारण मृतक के शरीर पर आयी मृत्यु पूर्व चोटों एवं कोमा के कारण होना दर्शायी गयी है। यह अवश्य है कि अभिलेखीय साक्ष्य में संत कबीर नगर जिला अस्पताल से मृतक को रिफर करने, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज होने व रिफर करने तथा रचित हॉस्पिटल में इलाज संबंधी कोई अभिलेख अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु यह कमी अभियोजन स्तर पर साक्ष्य संकलन की है, किन्तु इन कमियों के संबंध में जब साक्षीगण के बयानों का अवलोकन करते हैं तो साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय, जो मामले का वादी स्वयं चुटैल एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, के अनुसार मैं अपने माता–पिता को लेकर थाना खलीलाबाद गया। पुलिस ने एन०सी०आर० लिखा। पुलिस हम लोगों का दवा इलाज तथा डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल खलीलाबाद में कराया। मेरे पिता को डॉ० ने गोरखपुर रिफर कर दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लखनऊ मेडिकल रिफर कर दिया ठीक न होने पर मैं अपने पिता का गोरखपुर में रचित अस्पताल में दवा–इलाज कराने लगा। दिनांक 31.03.2014 को मेरे पिता की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा घटना कारित होने की दिनांक 23.03.2014 से मृतक परमहंस राय की मृत्यु होने की दिनांक 31.03.2014 तक के समस्त घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। जिसका संपोषण पी०डब्लू०–02 जुगावती, जो मृतक की पत्नी एवं स्वयं चुटैल है, के द्वारा अपने सशपथ बयान दिया है, जिसके अनुसार मेरा लड़का आनन्द राय मुझे तथा मेरे पति को लेकर कोतवाली खलीलाबाद आये। पुलिस ने एन०सी०आर० दर्ज किया। पुलिस ने हम लोगों का दवा–इलाज व डॉ० मुआयना सरकारी अस्पताल खलीलाबाद में कराया। डॉ० ने मेरे पति की गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर में रिफर कर दिया। सुधार न होने मेडिकल कालेज लखनऊ ले लगे। वहां भी सुधार न होने पर रचित हास्पिटल गोरखपुर में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान दिनांक 31.03.2014 को मेरे

पति की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार इन साक्षीगण द्वारा घटना दिनाक 23.03.2014 तथा मृतक परमहंस राय को चोटे आना, इलाज होना तथा इलाज होने के दौरान मृत्यु होने के कथन को स्पष्ट रूप से साबित किया है। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा मामले की एन०सी०आर० दर्ज करना या मृतक का घटनास्थल से कोतवाली तक मोटर साइकिल से आने मात्र के आधार पर घटना को संदेहास्पद अथवा असत्य नहीं माना जा सकता। विशेषकर ऐसी दशा में जबकि उपरोक्त दोनों साक्षी घटना में घायल हुए हैं तथा उनका चिकित्सीय परीक्षण हुआ है एवं चिकित्सीय आख्या न्यायालय के समक्ष चिकित्सक द्वारा साबित की गयी है।

29. जहां तक मृतक को मात्र साधारण चोटे आने तथा उसकी मृत्यु का कारण उक्त चोटे न होकर कोई अन्य कारण होने के तर्क का संबंध है। न्यायालय के मत में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय जो मृतक का पुत्र है एवं पी०डब्लू०–02 जुगावती जो मृतक की पत्नी है एवं दोनों घटना में चुटैल हैं, के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक 23.03.2014 से परमहंस राय की मृत्यु दिनांक 31.03.2014 तक मृतक का इलाज होता रहा। उसके अतिरिक्त शरीर की बाहरी सतह के चोटों को देखने मात्र से उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मृतक परमहंस राय की चोट संख्या 01 के संबंध में साक्षी पी०डब्लू०–07 डॉ० राम प्रवेश, जिसके द्वारा मृतक का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था तथा चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क 05 साबित की गयी है, के अनुसार परमहंस राय की चोट संख्या 01 के घाव पर खून का थक्का भी जम सकता है। इस तथ्य की पुष्टि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–03 डॉ० अरविन्द कुमार उपाध्याय, जिसके द्वारा मृतक परमहंस राय का पोस्टमार्टम किया गया तथा पोस्टमार्टम आख्या प्रदर्श 02 साबित की गयी, के द्वारा अपने सशपथ बयान में वर्णित किया गया कि मृतक के सिर के दाहिनी तरफ चमड़े को काटने पर उसके नीचे खून का थक्का मौजूद था। सिर की हड्डी खोलने पर उसके नीचे ब्रेन मेम्ब्रेन में खून का थक्का मौजूद था तथा मृत्यु का संभावित कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटो के कारण कोमा में जाना था। इस प्रकार विशेषज्ञ साक्षी चिकित्सकगण द्वारा दिये गये मौखिक बयान से मृतक परमहंस राय की मृत्यु अभियोजन द्वारा वर्णित घटना में आयी चोटों के कारण हुई थी। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है कि मृतक परमहंस राय की मृत्यु का कारण घटना में आयी चोटे नहीं थी, क्योंकि वे साधारण प्रकृति की थी।

30. जहां तक घटना में कोई स्वतंत्र साक्षी न होने के तर्क का संबंध है, इस संबंध में जहां एक ओर साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय द्वारा अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि विवाद के समय गाव का कोई भी व्यक्ति नहीं था। बाद में लोग आये। जबकि पी०डब्लू०–02 जुगावती द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि शोर सुनकर गांव के तमाम लोग आये घटना को देख बीच बचाव किये। अभियोजन द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–05 जोगिन्दर राय को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 23.03.2014 को समय करीब 12 बजे दिन शोर गुहार सुनकर मैं अपनी पत्नी रुकमणी के साथ गया तो देखा कि मेरे गांव के गुड्डू उर्फ राजेश, मनोज व राजू द्वारा परमहंस राय, आनन्द राय एवं जुगावती देवी पर ईंट–पत्थर चला रहे थे, लाठी–डण्डा से मारे–पीटे और गाली दे रहे थे। परमहंस राय व आनन्द राय को चोट लग गयी थी। किन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किसी अभियुक्त को मार पीट करते या ईंट–पत्थर चलाते देखने के तथ्य से इंकार किया तथा अभियोजन द्वारा इसे

पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि किसी भी घटना को साबित करने के लिए साक्ष्य की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, अपितु साक्ष्य की गुणवत्ता का महत्व होता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय, जो मामले का वादी है एवं स्वयं घटना में चुटैल है, जिसकी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण जिला चिकित्सालय संत कबीर नगर में किया गया है एवं चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–06 पत्रावली पर प्रस्तुत एवं साबित है, के द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया कि अभियुक्तगण गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा, मनोज कुमार वर्मा एवं राजू वर्मा द्वारा सोने के जेवरात लेकर गाली–गलौज किया व उनकी माता जुगावती देवी पी०डब्लू०–02 एवं पिता मृतक परमहंस राय व स्वयं साक्षी के साथ लाठी–डण्डा, सरिया एवं कुल्हाड़ी से मार–पीट की। मुल्जिमान ने कुल्हाड़ी व लोहे की राड से मेरे पिता व मेरे सिर पर प्राणघातक चोटे पहुंचायी। इन कथनों की पुष्टि पी०डब्लू०–02 जुगावती देवी, जो मृतक परमहंस राय की पत्नी हैं एवं घटना में चुटैल है, जिसकी चोटों की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–07 पत्रावली पर संलग्न व साबित है, के द्वारा भी किया गया है। इन साक्षियों की घटनास्थल पर उपस्थिति सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि ये मृतक के परिजन हैं। इन साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई विरोधाभास दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे उनके सशपथ बयानों पर अविश्वास किया जाये। ऐसी स्थिति में घटना के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्षी न होना या एक साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने मात्र के आधार पर संपूर्ण घटना को संदेहास्पद या असत्य नहीं माना जा सकता।

31. घटनास्थल के बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि घटना में साक्षी पी०डब्लू०–08 सेवानिवृत्त निरीक्षक राजेन्द्र राय (विवेचक) द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया गया। इस संबंध में वादी मुकदमा आनन्द राय के मौखिक सूचना के आधार पर थाना खलीलाबाद में अभियुक्तगण के विरुद्ध एन०सी०आर० संख्या– 83/2014 दर्ज की गयी तथा घटना का स्थान वादी मुकदमा का दरवाजा होना अंकित किया। साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय एवं पी०डब्लू०–02 जुगावती देवी, जो मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि अभियुक्तगण गुड्डू वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, राजू वर्मा, साकेत वर्मा एवं गुड्डू वर्मा की पत्नी चांदनी मेरे मकान के बगल में स्थित अपनी जमीन में नींव खोद रहे थे। मृतक परमहंस राय ने अपना जेवरात मांगा तो इस पर नाराज होकर उपरोक्त मुल्जिमान मृतक परमहंस राय को गाली–गलौज देते हुए मृतक परमहंस राय एवं आनन्द राय को पकड़ कर जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्डा, कुल्हाड़ी व सरिया से मारे–पीटे। उक्त घटनास्थल की पुष्टि पी०डब्लू०–08 सेवानिवृत्त निरीक्षक राजेन्द्र राय, जो मामले के विवेचक हैं, जिसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण की गयी, जिसने घटनास्थल का नक्शानजरी प्रदर्श क–08 पत्रावली पर संलग्न व साबित है, के द्वारा भी किया गया है। इन साक्षियों की घटनास्थल पर उपस्थिति सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि ये मृतक के परिजन हैं। इन साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई विरोधाभास दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे उनके सशपथ बयानों पर अविश्वास किया जाये। ऐसी स्थिति में घटनास्थल को वादी मुकदमा द्वारा बताये जाने के आधार पर घटनास्थल को संदेहास्पद या असत्य नहीं माना जा सकता।

32. जहां तक अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का तात्कालिक कारण का प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय, जो मृतक का पुत्र है, ने अपनी

प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि इस घटना के दस दिन पहले हमसे व गुड्डू वर्मा से कहा–सुनी हुई थी। मुल्जिमान से कोई जगह जमीन का झगड़ा नहीं था, केवल सोना का झगड़ा था। मेरी माता ने 05–06 वर्ष पहले गुड्डू वर्मा को सोना दिया था। यह सोना किस समय किसके सामने दिया था यह बात वह नहीं बता सकता। उसकी मां ही बता सकती है। साक्षी पी०डब्लू०–02 जुगावती देवी, जो मृतक की पत्नी हैं एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं चुटैल हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं घटना के कुछ वर्ष पहले तीन तोला पुराना सोना देकर नया जेवरात बनाने के लिए दिया था, लेकिन गुड्डू वर्मा मुझे जेवरात बनाकर नहीं दिये थे। दिनांक 23.03.2014 को समय 12 बजे दोपहर अभियुक्तगण गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा, मनोज कुमार वर्मा एवं राजू वर्मा मेरे घर के पास ही अपनी जमीन में नींव खोद रहे थे। मेरे पति ने अपना जेवरात मांगा तो उपरोक्त अभियुक्तगण नाराज होकर मेरे पति को मां–बहन की गाली देने लगे, जब मेरे लड़के आनन्द राय ने गाली देने से मना किया तो उक्त मुल्जिमान मेरे पति मृतक परमहंस राय व आनन्द राय को पकड़कर जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्डा, कुल्हाड़ी व सरिया से मार पीट कर प्राण घातक चोटे पहुंचायी। बीच बचाव करने जब मैं भी पहुंची तो मुल्जिमान मुझे भी मारे–पीटे, जिससे मेरे दायी कलाई में फ्रैक्चर हो गया। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि इस घटना के दो–तीन दिन पहले गुड्डू वर्मा की पत्नी से जेवरात के लेन–देन के संबंध में झगड़ा हुआ था। घटना के दस वर्ष पूर्व मैंने गुड्डू वर्मा को चूड़ी बनाने के लिए सोना दिया था। इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई विरोधाभास दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे उनके सशपथ बयानों पर अविश्वास किया जाये। ऐसी स्थिति में घटना का तात्कालिक कारण साक्षी पी०डब्लू०–02 जुगावती देवी जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है एवं मृतक की पत्नी है, के द्वारा अभियुक्त गुड्डू वर्मा उर्फ राकेश वर्मा को घटना के दस वर्ष पूर्व जेवरात बनाने के लिए तीन तोला सोना दिये जाने के एवं जेवरात मांगने के परिणाम स्वरूप विवाद होने व मार–पीट होने के कथन को साबित किया गया है।

33. जहां तक घटना में अभियुक्त राजू वर्मा की भूमिका एवं संलिप्तता का प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय, जो मृतक का पुत्र है एवं साक्षी पी०डब्लू०–02 जुगावती देवी, जो मृतक की पत्नी हैं एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं चुटैल हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 23.03.2014 को दोपहर 12 बजे की है। मेरे मकान के बगल में स्थित अपनी जमीन पर गुड्डू वर्मा, उसकी पत्नी चांदनी, भाई मनोज वर्मा, राजू वर्मा एवं साकेत वर्मा आये थे।...... विरोध करने पर उपरोक्त अभियुक्तगण वादी मुकदमा एवं मृतक परमहंस राय को पकड़ कर जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डा, सरिया व कुल्हाड़ी से मार कर प्राण घातक चोटे पहुंचायी। साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय, जो मृतक का पुत्र है एवं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं चुटैल हैं, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मुझे गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा, राजू वर्मा एवं मनोज ने मारा था। ये लोग लाठी–डण्डा एवं सरिया लिये थे। यही लोग पिता जी को भी मारे थे। इन कथनों की पुष्टि दौरान विवेचना साक्षी पी०डब्लू०–06 सेवानिवृत्त निरीक्षक उमाशंकर तिवारी, जो मामले के विवेचक हैं, जिन्होंने साक्षीगण के बयान के उपरान्त अभियुक्तगण गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा, राजू वर्मा एवं मनोज कुमार वर्मा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क–04 न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली पर संलग्न व साबित है, के द्वारा भी किया गया है। इन साक्षियों की घटनास्थल

पर उपस्थिति सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि ये मृतक के परिजन हैं एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। इन साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई विरोधाभास दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे उनके सशपथ बयानों पर अविश्वास किया जाये। ऐसी स्थिति में अभियुक्त राजू वर्मा की घटना में भूमिका संदेहास्पद नहीं मानी जा सकती।

34. साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त जहां एक ओर यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्त राजू वर्मा द्वारा वादी मुकदमा एवं उसके माता–पिता को किस हथियार के मारा–पीटा गया है, उपरोक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है, परन्तु मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय एवं पी०डब्लू०–02 द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण कुल्हाड़ी व लोहे की राड से मेरे पिता मृतक परमहंस राय को एवं उन्हें मार पीट कर प्राणघातक चोटे पहुंचायी।

35. जहां तक आरोप अन्तर्गत धारा–323 सपठित 24 भा०दं०सं० के अपराध का अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने का सम्बन्ध है, साक्षी पी०डब्लू०–01 आनन्द राय, जो मृतक का पुत्र है एवं पी०डब्लू०–02 जुगावती देवी, जो मृतक की पत्नी है एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं चुटैल है, द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 23.03.2014 को दोपहर 12 बजे दिन में अभियुक्तगण उनके घर के बगल अपनी जमीन पर आये थे। मृतक द्वारा अपने जेवरात की मांग करने पर अभियुक्तगण मिलकर उन्हें एवं मृतक परमहंस राय को लाठी–डण्डा, सरिया व कुल्हाड़ी से मार पीट कर गंभीर चोटे पहुंचायी थी। चुटैल आनन्द राय, जुगावती देवी एवं परमहंस राय की चोटों की पुष्टि साक्षी पी०डब्लू०–07 डॉ० राम प्रवेश, जिसके द्वारा चुटैल परमहंस की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–05, चुटैल आनन्द राय की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–06 एवं चुटैल जुगावती देवी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क 07 जो पत्रावली पर संलग्न एवं साबित है, के द्वारा भी किया गया है। अतः उपरोक्त साक्षीगण के बयान एवं चुटैलो की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार धारा 323 सपठित 34 भा०दं०सं० के अपराध अभियोजन संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

36. जहां तक आरोप अन्तर्गत धारा–325 सपठित 24 भा०दं०सं० के अपराध का अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने का सम्बन्ध है, साक्षी पी०डब्लू०–02 जुगावती देवी, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं एवं चुटैल है, द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मैं घटना देखकर बचाव करने पहुंची तो मुल्जिमान मुझे भी मारे–पीटे, जिससे मेरी दायी कलाई में फ्रैक्चर आ गया। इन कथनों की पुष्टि साक्षी पी०डब्लू०–09 द्वारा चुटैल जुगावती देवी के एक्स–रे जो प्रदर्श क 11 पत्रावली पर संलग्न व साबित है, के द्वारा भी किया गया है। अतः उपरोक्त साक्षीगण के बयान एवं चुटैल की एक्स–रे आख्या के अनुसार धारा 325 सपठित 34 भा०दं०सं० के अपराध अभियोजन संदेह से परे साबित करने में भी सफल रहा है।

37. जहां तक आरोप अन्तर्गत धारा–504 भा०दं०सं० एवं 506 भा०दं०सं० के अपराध का अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने का सम्बन्ध है, वादी मुकदमा पी०डब्लू०–01 एवं पी०डब्लू०–02, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा उसकी मां एवं पिता को लोक शांति भंग कराने या मादरचोद एवं मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली दिये एवं जान माल की

धमकी दिये। अभियोजन द्वारा लोक शांति भंग करने के आशय से अपमानित करने के तथ्य और अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के तथ्यों को मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्टतः साबित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के बयान से धारा 504 व 506 भा०दं०सं० के अपराध अभियोजन संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

38. जहां तक आरोप अन्तर्गत धारा–304 सपठित 34 भा०दं०सं० के अपराध का अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने का सम्बन्ध है, उक्त अभिलेख में घटना का दिनांक 23.03.2014 व समय 12 बजे अभियुक्तगण गुड्डू वर्मा, राजू वर्मा व राकेश वर्मा के द्वारा वादी पक्ष के साथ गाली गलौज करना तथा लाठी–डण्डे से मार पीट करना तथा वादी उसके पिता व मां को चोटे आयी। पुलिस द्वारा चुटैलों का दवा इलाज तथा डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल खलीलाबाद में कराया। परमहंस राय को डॉ० ने गोरखपुर रिफर कर दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लखनऊ मेडिकल रिफर कर दिया ठीक न होने पर वादी अपने पिता का गोरखपुर में रचित अस्पताल में दवा–इलाज कराने लगा। दिनांक 31.03.2014 को परमहंस की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार घटना कारित होने की दिनांक 23.03.2014 से मृतक परमहंस राय की मृत्यु होने की दिनांक 31.03.2014 तक के समस्त घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के बयान से धारा 304 सपठित 34 भा०दं०सं० के अपराध अभियोजन संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

39. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त राजू वर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा–323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 एवं 304 सपठित 34 भा०दं०सं० को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, क्योंकि अभियोजन ने अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से यह प्रमाणित किया है कि अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डण्डा, सरिया व कुल्हाड़ी लेकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कारित आपराधिक कृत्य से अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा आनन्द राय एवं उसके माता–पिता को मार पीट कर उसके पिता मृतक परमहंस राय के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किये जिसके परिणाम स्वरूप दोरान इलाज मृतक परमहंस राय की मृत्यु हो गयी एवं वादी मुकदमा जो मृतक का पुत्र है एवं उसकी माता जुगावती देवी जो मृतक की पत्नी है, को गंभीर चोटें पहुंचाई है।

40. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया जिसमें यह तथ्य वर्णित है कि "अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा व उसके माता–पिता को लाठी–डण्डा, सरिया एवं कुल्हाड़ी से बुरी तरह मारे–पीटे, जिससे उन्हें गंभीर चोटे आयी तथा वादी के पिता मृतक परमहंस राय पर यह जानते हुए प्रहार किये कि इससे उसकी मृत्यु सम्भाव्य है, परमहंस राय को आयी चोटों के कारण दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी।"

41. **धारा–304 भा०दं०सं० के द्वितीय खण्ड** के अनुसार– यदि यह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो

सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

42. साक्ष्य के विश्लेषण करने से यह तथ्य भी संदेह के परे साबित होता है कि घटना दिनांक 23.03.2014 को समय दोपहर 12 बजे अभियुक्तगण मिलकर वादी मुकदमा एवं उसके माता–पिता को मार–पीट कर प्राणघातक चोटे पहुंचायी गयी एवं दिनांक 31.03.2014 को दौरान इलाज वादी के पिता मृतक परमहंस राय की मृत्यु हो गयी।

43. प्रस्तुत मामले में वर्णित तथ्यों एवं साक्षीगण के द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि पूर्व में दिये सोने की मांग को लेकर अभियुक्त व अन्य सहःअभियुक्तगण द्वारा मिलकर मार पीट की गयी तो यह ज्ञान होना सर्वथा स्वाभाविक है कि उसके इस प्रकार मार–पीट से किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति कारित हो सकती है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है।

44. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा साक्ष्य के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त राजू वर्मा के विरुद्ध धारा–323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 एवं 304 के द्वितीय खण्ड सपठित 34 भा०दं०सं० में दण्डनीय अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त राजू वर्मा को धारा–323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 एवं 304 के द्वितीय खण्ड सपठित 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **राजू वर्मा** को सत्र परीक्षणीय वाद संख्या–16/2015, अपराध संख्या–758/2014, धारा–323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 एवं 304 के द्वितीय खण्ड सपठित 34 भा०दं०सं०, थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्त राजू वर्मा जमानत पर है उसे तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त राजू वर्मा को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–30.06.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O.Code–UP5761],
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

लंच बाद

सजा के प्रश्न पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। अभियोजन पक्ष द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा एवं उसके माता–पिता को गाली–गुप्ता देकर लाठी–डण्डा, सरिया व कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित कर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे परमहंस राय की दौरान इलाज मृत्यु होने के अपराध का आरोप साबित होने के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा जो अपराध कारित किया गया है उसमें अधिकतम दस साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित करने क प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाए।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा एवं उसके माता–पिता को गाली–गुप्ता देकर लाठी–डण्डा, सरिया व कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित कर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे परमहंस राज की दौरान इलाज मृत्यु हो जाने का आरोप साबित हुआ है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं यह ध्यान में रखते हुए कि दोष–सिद्ध अभियुक्त राजू वर्मा 35 वर्षीय है तथा उसकी कोई पूर्व दोष–सिद्धि सम्बन्धी सामग्री इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। मामले के दो अन्य सहःअभियुक्त मनोज कुमार वर्मा की मृत्यु आख्या के आधार पर उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही दिनांक 12.09.2018 को उपशमित की जा चुकी है एवं सहःअभियुक्त राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा के फरार होने के फलस्वरूप उसकी पत्रावली दिनांक 01.07.2022 को पृथक की गयी है, इस न्यायालय की राय में यह न्यायोचित होगा कि अभियुक्त राजू वर्मा को धारा 323 सपठित 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास से, भा०दं०सं० की धारा 325 सपठित 34 के अन्तर्गत तीन वर्ष के साधारण कारवास व मु० दो हजार रूपये (मु० 2,000/–) के अर्थदण्ड से, धारा 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास व मु० एक हजार रूपये (मु० 1,000/– रूपये) के अर्थदण्ड से, धारा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास व मु० एक हजार रूपये (मु० 1,000/– रूपये) के अर्थदण्ड से तथा धारा 304 के द्वितीय खण्ड सपठित 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत पांच वर्ष के साधारण कारावास तथा मु० दस हजार रूपये (मु० 10,000/–रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। अभियुक्त राजू वर्मा को उपरोक्तानुसार दण्डित होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजू वर्मा को सत्र परीक्षणीय वाद संख्या–16/2015, अपराध संख्या–758/2014, थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर में धारा–323 सपठित 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

इसी प्रकार अभियुक्त राजू वर्मा को विरचित आरोप धारा–325 सपठित 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं मु० दो हजार रूपये (मु० 2,000/– रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

इसी प्रकार अभियुक्त राजू वर्मा को विरचित आरोप धारा–504 भा०दं०सं० के

अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास एवं मु० एक हजार रूपये (मु० 1,000/– रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

इसी प्रकार अभियुक्त राजू वर्मा को विरचित आरोप धारा–506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास एवं मु० एक हजार रूपये (मु० 1,000/– रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

इसी प्रकार अभियुक्त राजू वर्मा को विरचित आरोप धारा–304 के द्वितीय खण्ड सपठित 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं मु० दस हजार रूपये (मु० 10,000/– रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

उपरोक्त अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।

अभियुक्त द्वारा अदा की गयी अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि चुटैल आनन्द राय व जुगावती देवी को देय होगी।

अभियुक्त के कारावास की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान जेल में बितायी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट अविलम्ब तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

अभियुक्त को निर्णय की एक निःशुल्क प्रति अविलम्ब प्रदान की जाये।

माल मुकदमा यदि कोई हो तो बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये और अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किया जायेगा।

दिनांक–30.06.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O.Code–UP5761],
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

उक्त निर्णय/दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–30.06.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O.Code–UP5761],
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Annexure as per judgement dated 15.12.2025 of Hon'ble SC in Cri. Appeal No. 2973/2023–

Chart for Exhibited Documents–

Exhibit No–	Description of Exhibit	Proved by Attested by
1.	तहरीर	प्रदर्श क 01
2.	मृतक परमहंस राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क 02
3.	पंचनामा	प्रदर्श क 03
4.	आरोप पत्र	प्रदर्श क 04
5.	परमहंस राय की इंजरी रिपोर्ट	प्रदर्श क 05
6.	आनन्द राय की इंजरी रिपोर्ट	प्रदर्श क 06
7.	जुगावती देवी की इंजरी रिपोर्ट	प्रदर्श क 07
8.	घटनास्थल का नक्शानजरी	प्रदर्श क 08
9.	एन०सी०आर०	प्रदर्श क 09
10.	तहरीर तरमीमी नकल रपट	प्रदर्श क 10
11.	एक्स–रे रिपोर्ट जुगावती	प्रदर्श क 11

Chart of witnesses Examined–

Prosecution Witness No–	Name of witnesses	Description
1.	आनन्द राय	वादी मुकदमा/मृतक का पुत्र
2.	जुगावती देवी	मृतक की पत्नी
3.	डॉ० अरविन्द कुमार उपाध्याय	चिकित्सक, पोस्टमार्टम मृतक
4.	शक्ति श्रीवास्तव	पंचायतनामा के साक्षी
5.	जोगिन्दर राय	स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
6.	सेवानिवृत्त निरीक्षक उमाशंकर तिवारी	विवेचक
7.	डॉ० राम प्रवेश	चिकित्सक चुटैल, चिकित्सीय परीक्षण
8.	सेवानिवृत्त निरीक्षक राजेन्द्र राय	विवेचक
9.	सेवानिवृत्त डॉ० मोहीबुल्लाह	चिकित्सक रेडियोलाजिस्ट, चुटैल जुगावती देवा का एक्स–रे

दिनांक–30.06.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O.Code–UP5761],
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.06.30 16:56:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court